न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 18/2023

स्टेट जरिये श्री जीत सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

–प्रार्थी

–:बनामः–

कुलवीर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह (विक्रेता)
मैसर्सः–निरबान ट्रेडर्स, दुकान नं. 157, धान मंडी, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः–आर.एच.बी. कॉलोनी, प्लॉट नं. 09/28, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थितः–

1. श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–09.05.2024

प्रार्थी श्री जीत सिंह यादव, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जीत सिंह यादव दिनांक 10.03.2022 को समय 03.00 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः–निरबान ट्रेडर्स, दुकान नं. 157, धान मंडी, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर कुलवीर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह (विक्रेता) निवासी–आर.एच.बी. कॉलोनी, प्लॉट नं. 09/28, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास दुकान में Mustard Oil (DGN Brand) 500 एम.एल. वजनी प्लास्टिक सील्ड बोतल करीब 50 नग तैयारशुदा आमजन के बेचान वास्ते रखे हुए थे। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर 4 मूल सील्ड बोतल 500 एम.एल. वजनी Mustard Oil (DGN Brand) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Mustard Oil (DGN Brand) की 4 मूल सील्ड प्लास्टिक बोतलों का खरीद मूल का 360/–रूपये का नगद भुगतान किया तथा कैश मीमो बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद एवं कैश मीमो परिवार संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Mustard Oil (DGN Brand) 500 एम.एल. वजनी चार मूल सील्ड प्लास्टिक बोतल पर चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चिपकाया। ऊपर से प्रत्येक सील्ड बोतल को मोटे खाकी कागज में लपेटकर किनारों को सफाई से मोड़ कर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक एके–2140 एवं अन्य विवरण दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ एवं जिला अभिहित अधिकारी, [illegible] स्लिप कोड नं. एके–2140 को चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे सफेद धागे से बां[illegible]र जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहान [illegible] कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए। चारों नमूना [illegible] कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर [illegible] जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं [illegible]द्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.21 18:16:10 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 420 दिनांक 25.03.2022 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/4070–71 दिनांक 04.04.2022 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थी (आवेदक) द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Misbranded Mustard Oil (DGN Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Mustard Oil (DGN Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 (1) की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बहस की गई कि उसकी दुकान से लिया गया उत्पाद सही था जो कि रिपोर्ट में भी स्पष्ट है। अप्रार्थी द्वारा Mustard Oil (DGN Brand) की लैबलिंग नहीं की जाती और न ही मार्केट में सप्लाई की जाती है। अप्रार्थी द्वारा अपने छोटे कोल्हू द्वारा आजीविका का अर्जन किया जाता है। अंत में उक्त कार्यवाही को ड्राप किए जाने बाबत निवेदन किया गया। प्रार्थी ने बहस में लैबल में कमी होने एवं मिस लैबल कर उक्त पदार्थ को मार्केट में बेचान करने के कारण अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Mustard Oil (DGN Brand) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Misbranded Mustard Oil (DGN Brand) का विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी Misbranded Mustard Oil (DGN Brand) विक्रेता जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 (1) की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 1,00,000/–(अखरे रूपये एक लाख मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेद लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.21 18:16:10 IST
Reason: SelfAttested